रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042024-253719 CG-DL-E-15042024-253719

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253] No. 253] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2024/चैत्र 26, 1946 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2024/CHAITRA 26, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2024

फा. सं. पीएनजीआरबी/कॉम/II-पीपीपीएल टैरिफ (1)/2024 खंड-I (इ-5022).—पेट्रोलियम एवं प्रकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम,2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड, (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2010 में और संशोधन करके एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत : -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) द्वितीय संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2010 में. -
 - (1) विनियम 4 में, चौदहवें परंतुक के बाद, निम्निलिखित परंतुक जोड़ दिया जाएगा, नामत: "बशर्ते कि संक्रमणकालीन अविध 31.03.2024 तक विस्तारित संक्रमण अविध के पूरा होने पर, 30.06.2024 तक और बढ़ाई जा सकती है":

2563 GI/2024 (1)

(2) विनियम 5 में, तेरहवें परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, नामत: -

"बशर्ते यह भी कि इस विनियमन के तहत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ निर्धारण के लिए रेलवे की माल टैरिफ तालिका के अनुसार बेंचमार्क किया जाएगा। जैसा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ) द्वितीय संशोधन विनियम, 2024 के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होगा और यदि आगे विस्तारित संक्रमण अविध में रेलवे की माल टैरिफ तालिका में संशोधित होता है, तो बोर्ड ऐसे परिशोधन के लिए विचार कर सकता है। तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन टैरिफ की बेंचमार्किंग पर निर्णय ले सकता है। "

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./022/2024-25]

- 1. मुख्य विनियम, पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2010, भाग II, खंड 3(i) सा.का.नि. 987(ई) के माध्यम से दिनांक 07 दिसंबर 2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।
- 2. पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम,2012, फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2012 के माध्यम से भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 ,िदनांक 13 दिसंबर को 2012 प्रकाशित किए गए थे।
- 3. पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2014, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. सं. पीएनजीआरबी/ एम(सी)/62/2014 के माध्यम से दिनांक 16 दिसंबर 2014 को प्रकाशित किए गए थे।
- 4. पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2014, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. सं. पीएनजीआरबी/ एल-विविध /VI/1/2007 के माध्यम से दिनांक 01 जनवरी 2015 को प्रकाशित किए गए थे।
- 5. पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. सं. पीएनजीआरबी/ एम(सी)/62/2016 के माध्यम से दिनांक 19 दिसंबर 2016 को प्रकाशित किए गए थे।
- 6. पेट्रोलियम एवं गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2017, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. सं. पीएनजीआरबी/ एम(सी)/62/2017 के माध्यम से दिनांक 19 दिसम्बर 2017 को प्रकाशित किए गए थे।
- 7. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2018, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. सं.पीएनजीआरबी/ एम(सी)/62/2018 के माध्यम से दिनांक 18 दिसंबर 2018 को प्रकाशित किए गए थे।
- 8. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2019, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2019 के माध्यम से दिनांक 18 अप्रैल 2019 को प्रकाशित किए गए थे।
- 9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड में फा. सं.. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2020 के माध्यम से दिनांक 19 फरवरी 2020 को प्रकाशित किए गए थे।
- 10. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. सं.पीएनजीआरबी /एम(सी)/62/2020 के माध्यम से दिनांक 27 मार्च 2020 को प्रकाशित किया किए गए थे।
- 11. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. संख्या पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2020 के माध्यम से दिनांक 30 जून 2020 को प्रकाशित किए गए थे।

- 12. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन शुल्क का निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. संख्या पीएनजीआरबी/वाणि./3-पीपीपीएल टैरिफ (1)/2012 खंड-IV (पी-1018) के माध्यम से दिनांक 28 सितंबर 2020 को प्रकाशित किए गए थे।
- 13. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन शुल्क का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2021, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणि./3-पीपीपीएल टैरिफ (1)/2012 खंड-IV (पी-1018) के मध्यम से दिनांक 14 दिसंबर 2021 को प्रकाशित किए गए थे
- 14. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2023, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. संख्या पीएनजीआरबी/वाणि./3-पीपीपीएल टैरिफ (1)/2012 खंड-V (पी-4397) के मध्यम से दिनांक 20 सितंबर 2023 को प्रकाशित किए गए थे।
- 15. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) द्वितीय संशोधन विनियम, 2023, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. संख्या पीएनजीआरबी/वाणि./3-पीपीपीएल टैरिफ (1)/2012 खंड-VI (पी-4698) के माध्यम से दिनांक 18 दिसंबर 2023 को प्रकाशित किए गए थे।
- 16. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) द्वितीय संशोधन विनियम, 2024, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में फा. संख्या पीएनजीआरबी/कॉम./3-पीपीपीएल टैरिफ (1)/2012 खंड-VI,पार्ट फाइल-I (ई-4734) के माध्यम से दिनांक 15 फरवरी 2024 को प्रकाशित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2024

File No. PNGRB/COM/11-PPPL (1)/2024 Vol-I (E-5022).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, hereby makes the following regulations, to further amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, namely: -

Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Second Amendment Regulations, 2024.
- (2) These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, -
 - (1) in regulation 4, after the fourteenth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -
 - "Provided also that the transitional period may on the completion of the extended transition period till 31.03.2024, be further extended up to, and inclusive of 30.06.2024";
 - (2) in regulation 5, after the thirteenth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -
 - "Provided also that the determination of the petroleum and petroleum products pipeline transportation tariff under this regulation shall be benchmarked against the goods tariff table of the railways as applicable on the date of the coming into force of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Second Amendment Regulations, 2024 and if the goods tariff table of the railways is revised during the further extended period of transition, the Board may consider the benchmarking of the petroleum and petroleum products transportation tariff against such revision."

VANDANA SHARMA, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./022/2024-25]

Foot Note:

1. The principal regulations, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 07th December 2010, vide G.S.R. 987(E).

- 2. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2012, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 13th December 2012, vide F. No. PNGRB/M(C)/62/2012.
- 3. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2014, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 16th December 2014, vide F. No. PNGRB/M(C)/62/2014.
- 4. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2014, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 01st January 2015, vide F. No. L-MISC/VI/I/2007.
- 5. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2016, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 19th December 2016, vide F. No. PNGRB/M(C)/62/2016.
- 6. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2017, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 19th December 2017, vide F. No. PNGRB/M(C)/62/2017.
- 7. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2018, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 18th December 2018, vide F. No. PNGRB/M(C)/62/2018.
- 8. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2019, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 18th April 2019, vide F. No. PNGRB/M(C)/62/2019.
- 9. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 19th February 2020, vide F. No. PNGRB/M(C)/62/2020.
- 10. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Second Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 27th March 2020, vide F. No. PNGRB/M(C)/62/2020.
- 11. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Third Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 30th June 2020, vide F. No. PNGRB/M(C)/62/2020.
- 12. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Fourth Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 28th September 2020, vide F. No. PNGRB/COM/3-PPPL Tariff (1)/2012 Vol-IV (P-1018).
- 13. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2021, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 14th December 2021, vide F. No. PNGRB/COM/3-PPPL Tariff (1)/2012 Vol-IV (P-1018).
- 14. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2023, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 20th September 2023, vide F. No. PNGRB/COM/3-PPPL Tariff (1)/2012 Vol-V (P-4397).
- 15. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2023, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 18th December 2023, vide F. No. PNGRB/COM/3-PPPL Tariff (1)/2012 Vol-VI (E-4698).
- 16. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Product Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2024, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 16th February 2024, vide F. No. PNGRB/COM/3-PPPL Tariff (1)/2012 Vol-VI (Part File-1) (E-4734).